न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 42 / 2023(जी.सी.एम.एस. 2023 / 74)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. श्रवण कुमार पुत्र राम कुमार जाति कुम्हार निवासी 2 एम एम तहसील श्रीकरणपुर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

उपस्थितः 1.श्री इन्द्रजीत सिंह अधिवक्ता वादी

तारीख रजू:- 24.03.2023

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

--निर्णय--

दिनांक : 23.05.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि यह कि तहसील श्रीकरनपुर के चक 2 एम की जमाबन्दी सम्वत् 2057 ता 2060 के खाता संख्या 24 / 39 के मुरब्बा नम्बर 39 की कुल 1.176 हैक्टेयर भूमि में से वादी के पिता के नाम राम कुमार पुत्र नानक राम जाति कुम्हार निवासी गांव 2 एम फूसेवाला तहसील श्रीकरनपुर के नाम 6–2/6 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। वादी के पिता का देहान्त हो चुका है। जिसका वादी उतराधिकारी है। वादी के पिता राम कुमार ने अपनी उक्त कुल 6–2/6 हिस्सा भूमि में से 5 हिस्सा भूमि का बेचान अपने जीवनकाल में गुरदेव सिंह पुत्र पाल सिंह जाति तरखान निवासी 1 यू तहसील श्रीकरनपुर को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांकित 06.08.2001 को कर दिया था। जिसके आधार पर क्रेता गुरदेव सिंह के हक में उक्त 5 हिस्सा भूमि का इन्तकाल संख्या 196 राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया था और जमाबन्दी सम्वत् 2061 ता 2064 में अन्य सहखातेदारान के साथ क्रेता गुरदेव सिंह व वादी के पिता राम कुमार के नाम शेष 1–2/6 हिस्सा दर्ज हो गया। गुरदेव सिंह की मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि का विरास्तन इन्तकाल संख्या 260 दर्ज करते समय गुरदेव सिंह के वारिसान के नाम वादी के पिता राम कुमार का समस्त 6–2/6 हिस्सा का दर्ज कर दिया गया। जिससे जमाबन्दी में वादी के पिता का नाम हट गया और समस्त भूमि गुरदेव सिंह के वारिसान के नाम दर्ज हो गई। जबकि 1–2/6 हिस्सा का कब्जा रामकुमार के जीवनकाल से लेकर आज तक हमारा चला आ रहा है। गुरदेव सिंह की मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि का विरास्तन इन्तकाल संख्या 260 दर्ज होने के पश्चात् उक्त भूमि गुरदेव सिंह के वारिसान द्वारा समस्त भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या 2 कालू राम के नाम कर दिया। जिसका इन्तकाल संख्या 261 व 272 दर्ज हुआ। आज से कुछ रोज पूर्व वादी पटवारी हल्का से मिला और अपने पिता के नाम दर्ज भूमि का विरास्तन इन्तकाल दर्ज करवाने के लिए उन्हें कहा तो पटवारी हल्का द्वारा कहा गया कि आपके पिता के नाम तो उक्त खाता में कोई भी भूमि नहीं है। तब वादी द्वारा तहसीलदार श्रीकरनपुर के यहां प्रार्थना पत्र पेश करके पूर्ववर्ती समस्त जमाबन्दियों की नकलें प्राप्त की गई, तो वादी को उक्त तमाम पूर्ववर्ती इन्तकालों का ज्ञान हुआ और वादी द्वारा तहसीलदार महोदय, श्रीकरनपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करके विरास्तन इन्तकाल दर्ज करने हेतु निवेदन किया, तो उनके द्वारा श्रीमान् जी के न्यायालय में चाराजोही करने की हिदायत दी। यही वाद कारण है। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि गुरदेव सिंह के वारिसान के नाम दर्ज इन्तकाल संख्या 260 व 261 एवं 272 को निरस्त किया जाकर चक 2 एम तहसील श्रीकरनपुर के खाता संख्या 36 / 36 के मु0नं0 39 की कुल 0.964 है0 भूमि में से वादी के पिता रामकुमार पुत्र नानक राम जाति कुम्हार निवासी फूसेवाला को 1–2/6 हिस्सा का खातेदार घोषित किए जाने के आदेश दिए जावे।

2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री विनय कुमार गर्ग उपस्थित आए व

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

जवाबदावा पेश किया। जवाबदावा के अनुसार चक 2 एम के मुरब्बा नम्बर 39 की कुल 0.964 हैक्टेयर भूमि में वादी श्रवण कुमार के पिता रामकुमार पुत्र नानक राम को 1–1/2 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। तो प्रतिवादी संख्या 2 को कोई आपत्ति नहीं है। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 3546 दिनांक 20.06.2023 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 2 एम की जमाबन्दी सम्वत 2057 ता 2060 में खाता संख्या 24 में रामकुमार पुत्र नानकराम के नाम से 6–2/6 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। जरिये इन्तकाल संख्या 196 बैयनामा रामकुमार ने 05 हिस्सा भूमि बैय कर दी। जिसका अमलदरामद नई जमाबन्दी सम्वत 2061 ता 2064 की पडत सरकार में खाता संख्या 25/24 में सही हो गया। परन्तु परत पटवार में रामकुमार का 1–2/6 हिस्सा दर्ज होने से रह गया। इसके पश्चात इंतकाल संख्या 260 में गुरदेव सिंह की विरासतन इन्तकाल में 5 हिस्सा के स्थान पर 6–2/6 हिस्सा गुरदेव सिंह के वारिसों के नाम चला गया। इस प्रकार रामकुमार की भूमि भी गुरदेव सिंह के वारिसों के नाम हो गई। इसके बाद इंतकाल संख्या 261 व 272 जरिये दस्तबरदारी समस्त भूमि कालूराम पुत्र बचनाराम के नाम हो गई। इसके पश्चात इंतकाल संख्या 320 दान द्वारा कालूराम द्वारा 0.028 हैक्टेयर, भूमि राजाराम पुत्र बचनाराम को दान कर दी गई। वर्तमान में उक्त खाते की अपील संख्या 107/2022 न्यायालय आरएए, श्रीगंगानगर में अनवान पाल सिंह बनाम झण्डाराम उर्फ रिडमाल आदि द्वारा प्रक्रियाधीन है। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर में अपील संख्या 107/2022 अनवान पाल सिंह बनाम झण्डा राम के निर्णय दिनांक 08.04.2024 के मुताबिक अपीलांट द्वारा अपील नोटप्रेस करने पर अपील खारिज कर दी गई है। प्रतिवादी संख्या 2 का जवाबदावा सहमति का है। इसलिए वाद बिन्दू कायमी की आवश्यकता नहीं है।

3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया। वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 2 एम, पटवार हल्का फूसेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2057 ता 2060 के खाता संख्या 24 की छायाप्रति, राजस्व ग्राम 2 एम, पटवार हल्का फूसेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2061 ता 2064 के खाता संख्या 25 की छायाप्रति, राजस्व ग्राम 2 एम, पटवार हल्का फूसेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 36 की छायाप्रति, बैयनामा दिनांक 06.08.2001 की छायाप्रति, इन्तकाल संख्या 196, 260, 261, 272 की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है, कि वादी के द्वारा चक 2 एम के इन्तकाल संख्या 260 दिनांक 03.01.2008 व 261 दिनांक 05.01.2008 एवं 272 दिनांक 05.08.2008 को निरस्त किया जाकर चक 2 एम तहसील श्रीकरनपुर के खाता संख्या 36/36 के मुरब्बा नम्बर 39 की कुल 0.964 हैक्टेयर भूमि में से वादी के पिता रामकुमार पुत्र नानक राम जाति कुम्हार निवासी फूसेवाला को 1–2/6 हिस्सा का खातेदार घोषित किए जाने बाबत निवेदन किया है। प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा जवाबदावा में कथन किए है कि वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है तो मुझ प्रतिवादी को कोई एतराज नहीं है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 2 एम की जमाबन्दी सम्वत 2057 ता 2060 में खाता संख्या 24 में रामकुमार पुत्र नानकराम के नाम से 6–2/6 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। जरिये इन्तकाल संख्या 196 बैयनामा रामकुमार ने 05 हिस्सा भूमि बैय कर दी। जिसका अमलदरामद नई जमाबन्दी सम्वत 2061 ता 2064 की पडत सरकार में खाता संख्या 25/24 में सही हो गया। परन्तु परत पटवार में रामकुमार का 1–2/6 हिस्सा दर्ज होने से रह गया। इसके पश्चात इंतकाल संख्या 260 में गुरदेव सिंह की विरासतन इन्तकाल में 5 हिस्सा के स्थान पर 6–2/6 हिस्सा गुरदेव सिंह के वारिसों के नाम चला गया। इस प्रकार रामकुमार की भूमि भी गुरदेव सिंह के वारिसों के नाम हो गई। इसके

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

बाद इंतकाल संख्या 261 व 272 जरिये दस्तबरदारी समस्त भूमि कालूराम पुत्र बचनाराम के नाम हो गई। इसके पश्चात इंतकाल संख्या 320 दान द्वारा कालूराम द्वारा 0.028 हैक्टेयर, भूमि राजाराम पुत्र बचनाराम को दान कर दी गई। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

:आदेश:

1. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136 राजस्व भू अधिनियम 1956 भली भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 2 एम, पटवार हल्का फूसेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 36/36 के मुरब्बा नम्बर 39 की कुल 0.964 हैक्टेयर भूमि में से कालूराम पुत्र बचनाराम के नाम दर्ज 0.052 हैक्टेयर भूमि में से 0.019 हैक्टेयर भूमि वादी के पिता रामकुमार के नाम दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 23.05.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)